कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/शीतलहर,लू/वो–2/2023 दिनांक :

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
समस्त संस्था–प्रधान।

विषय :–	अतिवृष्टि/आपदा की स्थिति में विद्यालय भवन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राज्य में मानसून प्रवेश के साथ ही मौसम सम्बन्धी विभिन्न परिवर्तन अथवा असामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहे है। अभी हाल ही में बिपरजॉय नामक चक्रवात ने राज्य की सीमा में प्रवेश किया जिससे राज्य के लोगों का जनजीवन एवं पर्यावरण प्रभावित हुई। मानसून काल में कभी कम वर्षा तो कभी असामान्य/अतिवृष्टि देखने को मिलती है। राज्य में मानसून के प्रवेश एवं राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश का समापन होने के साथ ही समस्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ हो रहा हैं। उक्त परिस्थितियों में मौसम विभाग की आगामी दिवसों में राज्य में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी को देखते हुए राज्य के समस्त संस्था–प्रधान विद्यालय भवन व विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं निर्बाध शिक्षण व्यवस्था के लिए निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करावें :–

1. विद्यालय एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबंधन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के पत्रों की पालना सुनिश्चित करावें।
2. आगामी 03 दिवस में ही परिसर में अनावश्यक रूप से पड़ा मलबा हटाना, छत एवं नालों की सफाई करवाना, जल भरवा के स्थानों पर मिट्टी डलवाना, भवन की आवश्यक न्यूनतम मरम्मत करवाने सहित आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य किये जाने सुनिश्चित करावें। इस मद पर वास्तवित लागत को SDRF Fund से लिया जा .सकता है। अतः दिनांक 01.07.2023 से पूर्व विद्यालय भवन नियमित कक्षाओं के संचालन हेतु तैयार होना चाहिए।
3. अतिवृष्टि सहित किसी भी प्राकृतिक आपदा से विद्यालय भवन को हुई नुकसान का विस्तृत आंकलन एईएन/जेईएन/प्रधानाचार्य के माध्यम से करवाते हुए, प्रति विद्यालय 02 लाख रूपये की सीमा का ध्यान रखते हुए रिपोर्ट सहित प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलक्टर को अतिशीघ्र उपलब्ध करावे।
4. अतिवृष्टि सहित किसी भी प्राकृति आपदा के समय विद्यालय से "सुरक्षित निकास योजना" का मानचित्र बनावें तथा विद्यार्थियों को इस योजनानुसार गतिविधि का अभ्यास भी करवाया जावें।
5. अतिवृष्टि सहित किसी भी प्राकृति आपदा के समय आपात स्थिति से निपटने के लिए निकटतम अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र की सूची बना लेवें एवं उक्त से समन्वय हेतु उनके कार्यालय के दूरभाष नम्बर एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर भी प्राप्त कर लेवें।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible] Ram
Designation : Direc[illegible]
Date: 2023.0[illegible]:59:48 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No. : 4129596

6. जिन कमरों में मरम्मत की आवश्यकता प्रतीत होती है, वहां से विद्यार्थियों को अन्य सुरक्षित स्थान कक्ष में बैठाने की व्यवस्था करावें तथा जर्जर कक्षों के आस–पास विद्यार्थियों की पहुंच न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
7. यदि सम्पूर्ण विद्यालय भवन में ही सुरक्षा की विश्वसनीयता आशंकित हो तो सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर, अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करने के उपरांत पास के अन्य निकटतम विद्यालय में इस विद्यालय को अन्य पारी में चलाने हेतु सम्बन्धित संयुक्त निदेशक से निर्देश प्राप्त किये जावें।
8. विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने अथवा जर्जर कमरें के कारण यदि बैठक व्यवस्था की परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो सम्बन्धित संयुक्त निदेशक से आज्ञा प्राप्त कर उक्त विद्यालय को दो पारियों में चलाने बाबत अनुमति भी प्राप्त की जा सकती है।
9. विद्यालय परिसर से जल निकासी की उचित व्यवस्था करवाने के साथ ही मानसून के आगमन पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिन विद्यालयों में जल संरक्षण की उचित व्यवस्था उपलब्ध हो वहां जल बहाव के मार्ग में सफाई के साथ ही वर्षाकाल से पूर्व ही पानी की टंकी/टांकों आदि की सफाई सुनिश्चित करावें।

जिला स्तर पर सीडीईओ, समग्र शिक्षा से समन्वय कर उक्त हेतु आवश्यक व्यवस्था कराएंगे तथा संयुक्त निदेशक अपने मण्डल के सभी जिलों से विद्यालयवार ऐसे विद्यालयों की सूचना समेकित कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाना है कि अतिवृष्टि अथवा प्राकृति आपदा की स्थिति में विद्यालय भवन अथवा किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की हानि न हो तथा विद्यालय शिक्षा निर्धारित तिथि से निर्बाध रूप से सूचारू संचालित किया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शिक्षा सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त जिलों के ADPC-SMSA
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए समस्त संस्था–प्रधानों को ई–मेल प्रेषित करने बाबत।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.[illegible]:59:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4129596